ड्राफ्ट मतदाता सूची का किया गया प्रकाशन, चार सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका

धनबाद में सबसे ज्यादा व टुंडी में सबसे कम मतदाताओं के नाम छूटे

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी के निर्देश पर सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी एवं बाघमारा विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। धनबाद में सबसे ज्यादा व टुंडी में सबसे कम मतदाताओं के नाम छूटे हैं।

सभी बूथों पर प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध है। साथ ही eci.gov.in पर ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद चार सितंबर तक दावा व आपत्ति के लिए समय निर्धारित है। मतदाताओं को समय पर अपने दस्तावेज के साथ दावा आपत्ति पेश करने का अनुरोध किया। तीन अक्तूबर तक नोटिस सत्यापन, दावे व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। सात अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। जिला निर्वाचन विभाग ने कहा कि सभी लोग जांच लें कि परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर है या नहीं, इसकी जांच ड्राफ्ट सूची से देखकर कर लें। यदि परिवार के सदस्यों का नाम अलग-अलग बूथों पर हैं या मतदान केंद्र दूर है तो चार सितंबर तक फॉर्म-8 भरकर दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं। उनकी आपत्ति पर तीन अक्तूबर तक निपटारा किया जाएगा।

नए आवेदन के लिए फॉर्म-6 भरकर करना होगा जमा: अगर किसी कारणवश ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं हो पाया है तो फॉर्म-6 भरकर बीएलओ को देना होगा। साथ ही शपथपत्र जमा करना होगा। शपथपत्र के साथ कई तरह के दस्तावेज आपको जमा करना होगा।

अगर एक जुलाई-1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आपको अपना दस्तावेज जमा (11 तरह के विकल्प) करना होगा। वहीं अगर आपका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले और दो दिसंबर-2004 के बीच हुआ है तो माता-पिता के दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर कोई मतदाता जिनका जन्म दो दिसंबर-2004 के बाद हुआ है तो उन्हें अपना दस्तावेज के साथ माता-पिता का भी दस्तावेज देना होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां हैं। वोटरों के नाम में सबसे अधिक गलती है। कई लोगों के नाम के लिंग ही बदल दिए गए हैं। सरायढेला के रवींद्र दुबे के नाम के आगे महिला लिखा है।

धनबाद विधानसभा निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची के साथ अधिकारी।

ड्राफ्ट मतदाता सूची में 16,52,203 वोटर शामिल

एसआईआर में सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी व बाघमारा विधानसभा के 21 लाख 15 हजार 997 मतदाताओं में से 16,52,203 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हैं। जबकि 463794 मतदाता सूची से बाहर हैं। इनमें 1,73,347 एब्सेंट, 1,84,292 शिफ्टेड, 61,000 मृत, 24,382 डुप्लीकेट व 20,773 गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना करने व विदेश में रहने वाले सहित 4,63,794 मतदाताओं के नाम एएसडीडीएफ सूची में शामिल हैं। हालांकि यह अभी अंतिम मतदाता सूची नहीं है। मृत वोटरों को छोड़कर बाकी वोटर अपना नाम धनबाद के अपने संबंधित मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

- सभी विस क्षेत्र के बूथों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
- धनबाद में अबसेंट व अनट्रेसबेल 1,73,334 नाम जुड़वाने का मौका

विस क्षेत्र	पुराने वोटर	ड्राफ्ट वोटर	छूटे
सिंदरी	369125	315383	53742
निरसा	336957	281443	55514
धनबाद	476297	324430	151867
झरिया	304805	208190	96615
टुंडी	325525	280744	44781
बाघमारा	303288	242015	61273

धनबाद के 1,73,334 वोटरों का नाम जुड़ने का अंतिम मौका

धनबाद के एसआईआर में 1,73,334 वोटरों के नाम एबसेंट और अनट्रेसेबल सूची में रखे गए हैं। अगर ये वोटर अपना नाम जुड़वाना चाहें तो उनके लिए यह अंतिम मौका है। चार सितंबर तक अपना दावा सभी दस्तावेज के साथ देकर कर सकते हैं। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी।

कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 में बुधवार को शामिल आईजी व अन्य।

ड्यूटी मीट केवल स्पर्धा नहीं दक्षता बढ़ाने का मंच: आईजी

- बोकारो आईजी ने कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का किया उद्घाटन
- धनबाद और बोकारो के पुलिसकर्मी ड्यूटी मीट में ले रहे भाग

धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनबाद पुलिस केंद्र सभागार में बुधवार से तीन दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो के पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर जवान तक हिस्सा ले रहे हैं।

बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने उद्घाटन किया। कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों की दक्षता को निखारने का मंच है। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी रित्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, एडिशनल एसपी चास वेदांत शंकर सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। एसएसपी ने कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट का उद्देश्य पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के ज्ञान, कौशल तथा दक्षता को और बेहतर बनाना है। तीन दिवसीय ड्यूटी मीट में पुलिसकर्मी विभिन्न विषयों की मौखिक व लिखित परीक्षा में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता, तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता का मूल्यांकन किया जा रहा है। विधि विज्ञान (एफएसएल), मेडिको-लीगल, क्राइम इंवेस्टिगेशन, लॉ रूल्स एवं कोर्ट जजमेंट, फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफी, लिफ्टिंग, पैकिंग एवं फॉरवर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, पुलिस पोर्ट्रेट, कंप्यूटर साक्षरता, पुलिस श्वान दस्ता, एंटी-सबोटाज चेक तथा पुलिस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिभागियों की मौखिक और लिखित परीक्षा ली जा रही है।

स्पर्धा के लिए रांची से सीआईडी, एटीएस और विधि विज्ञान एफएसएल की विशेषज्ञ टीम पहुंची है। टीम में फिंगर प्रिंट के असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज सहाय, एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर आशुतोष वर्मा, पंचानंद कुमार, असित मोदी, रोहित कालिंदी और दिलीप महतो शामिल हैं।

शहर 30s

सर्किट हाउस में बुधवार को राजद जिला संगठन की बैठक में शामिल कार्यकर्ता।

राजद जिला संगठन की बैठक

धनबाद। सर्किट हाउस में राजद जिला संगठन की बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिया। हाल में जिलाध्यक्ष के विरोध में आयोजित एक अन्य बैठक का भी मुद्दा उठा। नेताओं ने उसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताते हुए कहा कि संगठन के अधिकृत पदाधिकारियों की उपेक्षा कर किए गए ऐसे प्रयास पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ऐसे मामलों में संविधान के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में सत्येंद्र शर्मा, शिवजी यादव, अनवरी खातून, प्रवीण कुमार ठाकुर, शहबाज खान, गुलशन खातून, मुकेश यादव, रामबाबू यादव, मिथिलेश यादव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

पीयूजेओ से निष्क्रिय किडनी को बाहर निकाला

डॉ गौरव प्रकाश।

धनबाद। एसएनएमएमसीएच स्थित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग ने जन्मजात पेल्वी-यूरेटरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन (पीयूजेओ) के कारण निष्क्रिय हो चुकी 23 वर्षीया युवती की बाईं किडनी का सफल ऑपरेशन कर उसे निकालने में सफलता हासिल की। अस्पताल में इस तरह की सर्जरी पहली बार हुई है। वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ गौरव प्रकाश ने सर्जरी की। युवती लंबे समय से कमर की बाईं ओर लगातार दर्द से परेशान थी। चिकित्सीय जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि जन्मजात रुकावट के कारण मरीज की बाईं किडनी काम नहीं कर रही है और उसे बचाना संभव नहीं है। इसके बाद मरीज की लेफ्ट नेफ्रेक्टॉमी करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन का नेतृत्व यूनिट हेड डॉ डीके गिंदौरिया ने किया। टीम में डॉ गौरव प्रकाश, डॉ विद्या तथा जूनियर रेजिडेंट डॉ मानसी शामिल थीं। वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ गौरव प्रकाश ने बताया कि यदि जन्मजात पीयूजेओ की समय पर पहचान और उपचार हो जाए तो कई मामलों में किडनी की कार्यक्षमता को बचाया जा सकता है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, बीकानेर
Email ID - eepheddn1bkn@gmail.com, Contact No. 0151-2941473
क्रमांक: 1870-1887 दिनांक: 29.07.2026
सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या 01/2026-27
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि इस खण्ड के अनुपयोगी सामग्री जिसका पुस्तक मूल्य राशि **रुपये 81.49 लाख** है, की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 20.08.2026 को इस कार्यालय के खण्डीय भण्डार परिसर में **अपरान्ह 1.00 बजे** की जायेगी। नीलामी योग्य नकारा सामग्री के अन्तर्गत सबमर्सीबल पम्पिंग सैट/जीएम स्क्रेप/एसएस स्क्रेप/एसई बर्न कॉपर/पीवीसी बर्न कॉपर व अन्य प्रकार की सामग्री शामिल है। **उक्त सामग्री की नीलामी जहां है, जैसी है के आधार पर होगी। बोली परिसर में अग्रिम धरोहर राशि जमा करवाने वाले क्रेता/अधिकृत प्रतिनिधि को ही प्रवेश दिया जायेगा।** क्रेताओं को बोली में सम्मिलित होने हेतु रुपये 50000/- (पचास हजार) अग्रिम धरोहर राशि के रूप में नगद अथवा डी.डी./बैंकर चैक के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के नाम से एस.बी.आई, (पी.पी. ब्रांच) शाखा बीकानेर से भुगतान प्राप्त होने योग्य हो, जमा करवानी होगी जो दिनांक **20.08.2026** को **दोपहर 12.00 बजे** तक जमा हो सकेगी, उसके बाद स्वीकार नहीं की जायेगी। **प्रत्येक बोलीदाता के पास वैध जीएसटी न. होना आवश्यक है, जिसे धरोहर राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा, तद्नुसार ही टोकन जारी किया जायेगा।** नीलामी हेतु गठित कमेटी का निर्णय ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदा सूचना वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्तें कार्यालय दिवस में ज्ञात की जा सकती है। उक्त नीलामी SPPP UBN No. **PHE2627SLOB03209** है।
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, बीकानेर
DIPR/C/13511/2026

प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक 10 को

धनबाद। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों के स्थानांतरण व पदस्थापन को ले क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने 10 अगस्त को प्रशि स्थापना समिति की बैठक बुलाई है।

फर्जी तरीके से बेची गई सरकारी भूमि का म्यूटेशन रद्द

- गोविंदपुर अंचल अंतर्गत भेलाटांड़ का मामला
- सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। गोविंदपुर अंचल अंतर्गत भेलाटांड़ मौजा संख्या 89 में फर्जी ऑनलाइन खाता संख्या 273 प्लॉट संख्या 220 रकवा 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि का खतियान दर्ज किया गया। इसके आधार पर 66 व्यक्ति को भूमि बिक्री की गयी। 38 लोगों के नाम दाखिल खारिज किया गया। सभी दाखिल ख़ारिज़ को उपायुक्त के आदेश पर अंचलाधिकारी ने रद्द कर दिया।

आरटीआई के तहत शिकायतकर्ता रमेश राही को सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने जानकारी दी कि मौजा भेलाटांड़ संख्या 89 के हाल खतियान में खाता 1 से 272 तक ही दर्ज है। मौजा भेलाटांड़ में खाता संख्या 273 नहीं है। तत्कालीन सीओ ने फर्जी तरीके से गोविंदपुर निवासी अमरचंद गोराई, पिता प्रफुल्ल गोराई के नाम ऑनलाइन खाता संख्या प्लॉट संख्या 220 रकवा 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि दर्ज किया गया। तत्पश्चात ऑनलाइन पंजी टू भाग वर्तमान संख्या 2 पृष्ठ संख्या 275 दर्ज कर 1 नवम्बर 2021 को 1988 से 2021 तक लगान प्राप्त किया गया। पंजी टू में दाखिल खारिज मुकदमा संख्या अंकित नहीं है। खाता संख्या 273 में दर्ज प्लॉट संख्या 220 रकवा 4 एकड़ 10 डिसमिल भूमि हाल सर्वे खाता संख्या 271 में दर्ज है। खाता संख्या 271 अनाबाद बिहार सरकार खाता है। फर्जी ऑनलाइन खतियान एवं पंजी टू की जांच किये बिना ही साजिश के तहत तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना भारती ने पत्रांक 251 वर्ष 2021 को अमरचंद गोराई के नाम जमाबंदी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। अमरचंद गोराई की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बलराम गोराई ने भूमि का मुख्तारनामा राजीव रंजन को दिया गया। मुख्तारनामा पर राजीव ने फर्जी खतियान की भूमि 66 व्यक्तियों को अवर निबंधक कार्यालय गोविंदपुर में पंजीकृत की गई। फर्जी खतियान में दर्ज भूमि को तत्कालीन सीओ रामजी वर्मा ने 38 लोगों के नाम दाखिल खारिज कर दिया। फर्जी खतियानधारी बलराम गोराई एवं रवि यादव पर केस दर्ज कराया गया है।

Sd./- Ratan Prasad Advocate
Enrolment no.147/2011

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
ROSARB राँची
तृतीय तल, एल एम स्क्वायर, सुजाता चौक, मेन रोड, राँची - 834001, झारखंड | मो. नंबर 7542032124

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(ों) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका **"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मुल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	**श्री रोहित कुमार, पिता श्री सुरेन्द्र प्रसाद** फ्लैट संख्या 3C, तृतीय तल, एम्बर रूबी अपार्टमेंट, चाणक्यपुरी, चिरा चास, बोकारो – 827013, झारखंड तथा फ्लैट संख्या 201, लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, ब्लॉक-C, चिरा चास, बोकारो – 827013, झारखंड तथा घर संसार, स्टेशनरी दुकान, ओम कंस्ट्रक्शन, चिरा चास, बोकारो – 827013, झारखंड तथा C-240, प्रभुनाथ नगर, डाकघर-तारी, सारण, छपरा – 841301, बिहार।	समतामूलक बंधक (Equitable Mortgage) के अंतर्गत आवासीय फ्लैट से संबंधित संपूर्ण भूमि एवं संपत्ति, जो फ्लैट संख्या- 3C, तृतीय तल पर स्थित है, जिसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1192.97 वर्ग फुट है तथा जिसके साथ बेसमेंट तल में आरक्षित कार पार्किंग स्थान भी सम्मिलित है। उक्त फ्लैट "**अम्बर रूबी**" नामक अपार्टमेंट में स्थित है, जो चाणक्यपुरी, चिरा चास, सर्वे प्लॉट संख्या 773, 775 एवं 795, खाता संख्या 172, मौजा-चास, थाना संख्या-30, वार्ड संख्या-2, उप-पंजीयक कार्यालय-चास, जिला-बोकारो में अवस्थित है। **सीमांकन :** उत्तर: लिफ्ट, दक्षिण: सड़क, पूर्व: गली, पश्चिम: फ्लैट 'B'	₹ 22,41,004.18 + दिनांक 16.10.2023 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 21,51,000/- / रु. 2,15,100/- / रु. 10,000/-	**भौतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
02	**श्रीमती बबीता कुमारी (ऋणकर्ता) पति – श्री अशोक मंडल** फ्लैट संख्या 4C, चतुर्थ तल, मातेश्वरी टॉवर, भेलाटांड़, थाना-बरवड्डा, धनबाद – 828103, झारखंड तथा शिमला नगर, धैया, ग्रामीण बैंक के निकट, आई.एस.एम. धनबाद, धनबाद – 826004, झारखंड। **श्रीमती लक्ष्मी देवी (गारंटर/प्रतिभूति दाता) पति – श्री लालन सिंह** फ्लैट संख्या 1C, प्रथम तल, मातेश्वरी टॉवर, भेलाटांड़, थाना-बरवड्डा, धनबाद – 826004, झारखंड।	श्रीमती बबीता कुमारी, पति श्री अशोक मंडल की अचल संपत्ति का समतामूलक बंधक (Equitable Mortgage), जिसमें 975 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) तथा 1170 वर्ग फुट सुपर निर्मित क्षेत्रफल (Super Built-up Area) वाला चतुर्थ तल स्थित फ्लैट संख्या 4-सी सम्मिलित है। यह बहुमंजिला भवन/परिसर, जो "**मातेश्वरी टॉवर**" के नाम से प्रसिद्ध है, मौजा-भेलाटांड़, मौजा संख्या-89, खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-689, थाना-गोविंदपुर (वर्तमान थाना-बरवड्डा सदर), उप-पंजीयक कार्यालय-धनबाद, जिला-धनबाद में स्थित है। उक्त संपत्ति विक्रय विलेख संख्या 5534, दिनांक 03.07.2015 के माध्यम से अर्जित की गई है। **सीमांकन :** उत्तर: अमित सिंह की भूमि, दक्षिण: लिफ्ट एवं सीढ़ियाँ, पूर्व: फ्लैट संख्या 4-B, पश्चिम: कॉलोनी रोड	₹ 22,74,009.00 + दिनांक 10.12.2018 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 17,06,000/- / रु. 1,70,600/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
03	**श्री मनोज कुमार मिश्रा (ऋणकर्ता) पिता – श्री बृज कुमार मिश्रा** मातेश्वरी टॉवर, फ्लैट संख्या 2A, द्वितीय तल, भेलाटांड़, थाना-बरवड्डा, प्लॉट संख्या-689, धनबाद – 826004, झारखंड। तथा ग्राम-शिमलाबेड़ा, दैनिक जागरण के निकट, धैय्या, धनबाद – 826004, झारखंड। **श्री अशोक कुमार मंडल (गारंटर/प्रतिभूतिकर्ता) पिता – श्री कृष्ण चन्द्र मंडल** ग्राम-शिमलाबेड़ा, दैनिक जागरण के निकट, धैय्या, धनबाद – 826004, झारखंड।	समतामूलक बंधक (Equitable Mortgage) के अंतर्गत आवासीय फ्लैट सहित संपूर्ण भूमि एवं संपत्ति, जो फ्लैट संख्या 2A, द्वितीय तल पर स्थित है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल (Built-up Area) 1305 वर्ग फुट तथा सुपर निर्मित क्षेत्रफल (Super Built-up Area) 1566 वर्ग फुट है। इसके साथ बेसमेंट तल में आरक्षित कार पार्किंग स्थान भी सम्मिलित है। उक्त फ्लैट "**मातेश्वरी टॉवर**" नामक अपार्टमेंट में स्थित है, जो मौजा-भेलाटांड़, मौजा संख्या-89, प्लॉट संख्या-689, खाता संख्या-24, थाना-बरवड्डा, जिला-धनबाद में अवस्थित है। यह संपत्ति विक्रय विलेख संख्या 3234, दिनांक 27.04.2013 के माध्यम से श्री मनोज कुमार मिश्रा के नाम दर्ज है। **सीमांकन :** उत्तर: खुला आकाश, दक्षिण: खुला आकाश, पूर्व: खुला आकाश, पश्चिम: सीढ़ियाँ, लिफ्ट तथा उसके बाद फ्लैट संख्या 2B एवं 2C	₹ 20,76,027.00 + दिनांक 17.10.2017 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 20,30,000/- / रु. 2,03,000/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
04	**श्री शंकर जी ओझा, पिता – श्री कामेश्वर दयाल ओझा** हर्ष विहार कॉलोनी, सरायढेला, शिव मंदिर के निकट, धनबाद – 828127, झारखंड। **श्री कामेश्वर दयाल ओझा, पिता – श्री परशुराम ओझा** हर्ष विहार कॉलोनी, सरायढेला, शिव मंदिर के निकट, धनबाद – 828127, झारखंड।	श्री कामेश्वर दयाल ओझा के नाम स्थित विक्रय विलेख संख्या 2859, दिनांक 25.06.2001 के अनुसार प्लॉट संख्या 822, 823 एवं 824 के भाग, खाता संख्या 7, मौजा – सरायढेला, मौजा संख्या 8, थाना – धनबाद, उप-पंजीयन कार्यालय – धनबाद, जिला – धनबाद में स्थित 2892.56 वर्ग फुट अथवा 6.63 डिसमिल क्षेत्रफल की समस्त भूमि एवं उसके सभी भाग एवं अंश, जिसकी **चौहद्दी निम्नवत् है :** उत्तर : कॉलोनी का खेल मैदान, दक्षिण : कॉलोनी रोड, पूर्व : सोसाइटी का प्लॉट संख्या B-3, श्रीमती सरस्वती देवी, पश्चिम : सोसाइटी का प्लॉट संख्या B-4, श्री अरुण प्रकाश त्रिवेदी	₹ 49,07,086.66 + दिनांक 31.07.2024 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय होगा। **08.09.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 58,34,000/- / रु. 5,83,400/- / रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **01.09.2026 से 07.09.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल **https://baanknet.com** देखें।
इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर **7542032124** पर संपर्क कर सकते हैं।
स्थान : राँची
दिनांक: 05.08.2026
विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह0/- प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, ROSARB राँची

टीआई व पत्नी के वायरल रील पर रेलवे बोर्ड सख्त

धनबाद। वंदे भारत एक्सप्रेस की पिछली गार्ड बोगी (ट्रेन मैनेजर बोगी) में पत्नी सरिता यादव के साथ रील बनाने के मामले में फंसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) उपेंद्र यादव और ऑन ड्यूटी ट्रेन मैनेजर की गर्दन फंसती नजर आ रही है। रेलवे बोर्ड ने इसपर सख्ती जताते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार को ट्रेन मैनेजर नयन कुमार शर्मा को मुख्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ हुई। जांच पूरी होने तक दोनों से काम नहीं लेने का आदेश दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भोजपुरी गाने के साथ वायरल हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर 18 जुलाई की है। ट्रेन मैनेजर ने रेल प्रशासन को दिए जवाब में बताया कि वे बेकसूर हैं। उस दिन टीआई फुट प्लेट के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे। उसी दिन ट्रेन पर वीडियो शूट किया गया था।

राजकमल मेंशन का सील तोड़कर दुकान चलाने का आरोप

धनबाद। पुराना बाजार पानी टंकी रोड स्थित राजकमल मेंशन में सील तोड़ अवैध रूप से दुकान चलाने को लेकर 26 दुकानदारों ने डीसी से शिकायत की है। कहा कि न्यायालय व जिला परिषद के आदेश पर वर्ष 2011 में राजकमल मेंशन को सील किया गया था। इसके बाद से अब तक किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्रशासनिक प्राधिकार ने भवन का सील हटाने का आदेश नहीं दिया है। शिकायतकर्ताओं ने डीसी से पूरे जांच व कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी से संगठन पर की चर्चा

धनबाद। रांची स्थित राजकीय अतिथि शाला (स्टेट गेस्ट हाउस) में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रदेश प्रभारी के. राजू से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अशोक सिंह के नेतृत्व में धनबाद के कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात के दौरान धनबाद जिला कांग्रेस संगठन के सृजन, विस्तार एवं सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान एसआईआर को लेकर भी वार्ता हुई।